न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 36/2017

अपीलान्ट्स

1. सुजानसिंह पुत्र गुमान सिंह जाति–राजपुत, निवासी– कुई ईन्दा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. रिड़मल सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति–राजपूत, निवासी–कुई ईन्दा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 22.09.2015 को न्यायालय तहसीलदार बालेसर के द्वारा ग्राम कुई इन्दा का नामान्तरकरण संख्या 730 स्वीकृत किया गया।

– – –

उपस्थिति :

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री उम्मेद सिंह बांवरला।
2. रेस्पोडेन्ट्स 1 की ओर से अभिभाषक श्री ओ पी सोनी।

–: आदेश :– **दिनांक :–** 26.07.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.09.2015 को न्यायालय तहसीलदार बालेसर के द्वारा ग्राम कुई इन्दा का नामान्तरकरण संख्या 730 स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुई इन्दा तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नं0 432 रकबा 1111.14 बीघा 14 बिस्वांशी व खसरा नं0 432/3 रकबा 0.10.06 बिस्वांशी हुई है जो विवादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जो गांव के मवेशियो गाय, भैस, ऊंट, बकरिया एवं भेड़ो को घास चरने तथा गांव के काम आती है। विवादग्रस्त भूमि में से 10 बिस्वा 6 बिस्वांशी का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व अधिकारी/कर्मचारी से मिलकर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार शेरगढ के द्वारा पूर्व में वर्ष 1978 के आदेश की पालना में भरना बताया गया है जबकि वर्ष 1978 में तहसीलदार शेरगढ का ऐसा कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया था। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री ओ पी सोनी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया अपीलाधीन आदेश से

संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार, बालेसर से प्राप्त कर प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषक की बहस दिनांक 18.07.2018 को सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक श्री उम्मेदसिंह ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कुई इन्दा तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित खसरा नं0 432 रकबा 1111 बीघा 14 बिस्वा 14 बिस्वांशी व खसरा नं0 432/3 रकबा 10 बिस्वा 6 बिस्वांशी आई हुई है। जो विवादग्रस्त भूमि गांव के मवेशियों गाय, भैस, ऊंट, बकरिया एवं भेड़ो को घास चराने तथा गांव के काम आती है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों से मिली भगत कर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। जबकि वर्ष 1978 का ऐसा कोई आदेश नही था। विवादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है। जो गांव के निवासियों के काम आती है। उक्त भूमि में रास्ते भी आये हुए है उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार के सदस्य व गांव वाले आवागमन पीढियों से करते आ रहे है विवादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि होने से किसी व्यक्ति को नियमन व खातेदारी देने का तहसीलदार को कानूनन अधिकार नहीं है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना बंटवाडा ही मूल खसरा में से बट्टा नं0 432/3 रकबा 10 बिस्वा 6 बिस्वांशी दर्ज कर दिया जबकि किसी प्रकार का बंटवाडा आदेश नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य होना बताया।

अपीलार्थी ने अपील मीमों के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की गैर हाजरी में स्वीकृत किया गया। इस कारण अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। हाल ही में रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रास्ते की भूमि पर दिनांक 16.08.2017 को अतिक्रमण करने की कार्यवाही की तो अपीलान्ट ने मना किया तो तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कहा कि उक्त भूमि मेरे खातेदारी की भूमि है इस कारण रास्ते पर कब्जा करूगा। अपीलान्ट पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर इस अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील पेश कर दी, देरी को माफ करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक श्री ओ पी सोनी ने अपनी लिखित बहस/मौखिक बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से पेश की है। जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलान्ट का जो मुख्य आदेश दिनांक 05.01.1978 को हो चुका है मुख्य आदेश तहसीलदार, शेरगढ द्वारा पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अपील प्रस्तुत नही की गयी है। इसलिये भी अपील प्रारम्भिक स्तर पर काबिल खारिज योग्य होना बताया। प्रस्तुत अपील नामान्तरकरण के विरूद्ध की गयी है जो 2 साल 2 माह 5 दिन के बाद प्रस्तुत की है। काबिल खारिज योग्य होना बताया।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा मुख्य आदेश तहसीलदार, शेरगढ का दिनांक 09.01.1978 का जो 40 वर्ष हो चुके है इसके विरूद्ध कोई अपील पेश नही की गयी जबकि मुख्य आदेश को चैलेंज करना आवश्यक है इसके बिना नामान्तरकरण की जो अपील की गयी है जो कानूनन गलत है अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि वर्ष 1978 तहसीलदार, शेरगढ का ऐसा कोई आदेश पारित नही किया जबकि वास्तव में दिनांक 09.01.1978 का जो आदेश हुआ जिसकी फोटोकॉपी न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें रेस्पोडेन्ट का रहवासीय मकान, हॉल, कमरे, टांका इत्यादि बने है। फिर भी रेस्पोडेन्ट को परेशान करने की नियत से अपील पेश की है जो खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान न्यायिक नजीरों की ओर दिलाया –

1. आर. आर. डी. 1987 पृष्ठ 422 उदा बनाम छगनलाल
2. आर. आर. डी. 1986 पृष्ठ 379 लादू बनाम सरकार
3. आर. आर. टी. 2001 (i) पृष्ठ 29

   इस नजीर के अनुसार 25 वर्ष के आवंटन को रद्द नही किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट का आवंटन करीब 40 वर्ष हो गए है।

4. 1993 एस सी सी पृष्ठ 544
5. 1994 एस सी सी पृष्ठ 575

   उच्चतम न्यायालय ने 10 वर्ष के आवंटन को रद्द नही किया है।

6. आर. आर. डी. 1997 पृष्ठ 193

   म्यूटेशन की अपील 2.5 वर्ष बाद की गयी यानि 30 माह बाद की गयी जबकि 9 महीने को भी उच्चतम न्यायालय ने समय के आधार पर विधि सम्मत नही माना व अपील मियाद के बाहन होने से खारिज की गयी।

7. आर. आर. डी. 1998 पृष्ठ 639।

अतः उपरोक्त नजीरों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने वकुलाय फरीकेन द्वारा प्रस्तुत पर मनन किया। पत्रावली का भी अध्ययन किया। प्रस्तुत नजीरों व दस्तावेज का भी अवलोकन किया इस प्रकरण में वस्तु स्थिति यह है कि अपीलान्ट ने ग्राम कुई इन्दा के नामान्तरकरण संख्या 730 जो तहसीलदार, बालेसर द्वारा दिनांक 22.09.2015 स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की है। ग्राम कुई इन्दा के नामान्तरकरण संख्या 730 के कॉलम संख्या 14 में पटवारी ने यह अंकन किया है कि ''अदालत नायब तहसीलदार, शेरगढ मुकदमा 91 एल. आर. एक्ट 429/77 निर्णय दिनांक 05.01.1978 व कार्यालय तहसीलदार बालेसर आदेश क्रमांक/राजस्व/2015/89 दिनांक 13.08.2015 की पालना में नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत है।'' जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई। तहसीलदार, बालेसर ने दिनांक 22.09.2015 को स्वीकृत किया।

उक्त नामान्तरकरण नायब तहसीलदार शेरगढ के मुकदमा 91 एल आर एक्ट 429/77 सरकार बनाम रिड़मलसिंह के निर्णय दिनांक 05.01.1978 को नियमन किया

गया की पालना में भरा गया। जिसकी ताहिद प्रस्तुत आदेश की छाया प्रति से होती है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत की गयी।

आदेश

उक्त नामान्तरकरण नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 429/77 सरकार बनाम रिड़मलसिंह निर्णय दिनांक 05.01.1978 की पालना में स्वीकार किया गया जबकि अपीलान्ट ने उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गयी तथा जब तक उक्त आदेश 05.01.1978 का आदेश प्रभाव में है उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना विधि सम्मत नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर